

न्यायालय:-साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चन्देरी जिला-अशोकनगर (म.प्र.)

दांडिक प्रकरण कं.-417 / 09
संस्थापित दिनांक-10.09.2009
Filing no. 235103000902009

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)।अभियोजन
विरुद्ध
1- भगत सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह उम्र 30 साल निवासी-ग्राम कडरोना जिला अशोकनगर (म.प्र.)।आरोपी

-: **निर्णय :-**
(आज दिनांक 17.01.2018 को घोषित)

01- अभियुक्त के विरुद्ध धारा 25(1बी)(ए) आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि दिनांक 27.05.2009 को 16:00 बजे ग्राम जमूसरा के हार डूब क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान पर अपने कब्जे में बिना आज्ञाप्ति के एक बारह बोर की बन्दूक और तीन जिन्दा कारतूस अपने कब्जे में अवैध रूप से पाये गये थे।

02- संक्षिप्त अभियोजन प्रकरण इस प्रकार है कि सूचनाकर्ता रामदास दिनांक 27.05.2009 को थाना चंदेरी में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को इलाका गस्त ग्राम जमूसरा के रास्ते में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि जमूसरा के हार में जहां पर चीमरी व उडद की फसल के पास वहां भगवत सिंह परमार निवासी कडराना से एक 12 बोर की बन्दूक एक नाली की लिये हुए घूम रहा है, मुखबिर की सूचना पर मय हमराही फोर्स व साक्षी शिशुपाल के साथ लेकर जमूसरा के हार डूब क्षेत्र जहां चीमरी बुयी थी, वहां पहुँचे तो भगत सिंह अपने हाथ में एक बन्दूक लिये था, पुलिस को देखकर भागा, उसने द्वारा हमराही फोर्स की मदद से घेरा डालकर साक्षी शिशुपाल के समक्ष भगतसिंह को मय एक 12 बोर की एक नाली बन्दूक रखने का लाइसेंस चाहा गया तो लाइसेंस न होना पाया गया। आरोपी का कृत्य धारा 25/26 आर्म्स एक्ट के तहत दण्डनीय पाया जाने से मौके पर एक 12 बोर की एक नाली बन्दूक को मय जिन्दा 3 राउन्ड के मौके पर जप्तकर मौके पर साक्षी शिशुपाल, आरक्षक रंजीत सिंह के समक्ष गिरफ्तार किया गया। मौके पर जप्ती, गिरफ्तारी पंचनामा तैयार किया गया। वापसी पर कायमी की गयी। अग्रिम विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किये गये, बन्दूक की जांच कराई, अभियोजन चलाने की अनुमति प्राप्त की तथा शेष अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

03— अभियुक्त के विरुद्ध धारा 25(1बी)(ए) आयुध अधिनियम का आरोप विरचित किया गया, अभियुक्त ने आरोप अस्वीकार कर विचारण का दावा किया। अभियुक्त परीक्षण के प्रक्रम पर अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष होकर झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया एवं बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की।

04— न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न है कि :-

1.	क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 27.05.2009 को 16:00 बजे ग्राम जमूसरा के हार डूब क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान पर अपने कब्जे में बिना आज्ञाप्ति के एक बारह बोर की बन्दूक और तीन जिन्दा कारतूस अपने कब्जे में अवैध रूप से पाये गये थे ?
----	---

साक्ष्य मूल्यांकन सह निष्कर्ष

05— रामदास (अ.सा.-6) उसके कथनों में बताया कि वह दिनांक 27.05.2009 को थाना चंदेरी में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। वह मय फोर्स के शासकीय वाहन से उक्त दिनांक को ग्राम कढराना जमूसर की ओर इलाका गस्त हेतु गया था। जब इलाका भ्रमण करते हुये कढराना से जमूसर की ओर जा रहे थे तो रास्ते में मुखबिर ने सूचना दी कि जिस क्षेत्र में चीमरी और उडद की फसल बोई गयी है वहां पर एक लडका बारह बोर की बंदूक लिये घूम रहा है। उक्त साक्षी ने बताया कि मुखबिर की सूचना की तस्दीक हेतु मय हमराही फोर्स के साथ शासकीय वाहन से मौके पर पहुंचे तो एक लडका पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे फोर्स की मदद से साक्षी शिशुपाल के समक्ष पकडकर उससे बारह बोर की बंदूक लोडेड मिली एवं बंदूक के बट पर कवर लगा था, जिसमें दो राउण्ड फंसे थे। बंदूक के संबंध में लाईसेंस पूछा तो न होना बताया, तब साक्षी शिशुपाल व आरक्षक रंजीत सिंह के समक्ष बंदूक व राउण्ड जप्त कर आरोपी भगत सिंह परमार निवासी कढराना को गिरफ्तार किया तथा जप्ती पंचनामा प्रपी-3 तैयार किया जिसके सी से सी भाग पर एवं गिरफ्तारी पंचनामा प्रपी-4 साक्षीगण के समक्ष तैयार किया जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त साक्षी ने बताया कि थाना वापिसी पर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रं. 168/09 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट की कायमी उसके द्वारा की गयी जो प्रपी-6 है और प्रकरण में वापिसी पर रवानगी सान्हा की नकल तैयार कर प्रकरण में संलग्न की गयी जो प्रपी-7 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रकरण में जप्तसुदा बंदूक बारह बोर एकनाली एवं तीन जिन्दा राउण्ड मालखाने से मंगाये जाकर उक्त साक्षी को दिखाने जाने पर साक्षी ने व्यक्त किया कि जप्तसुदा बंदूक बारह बोर आर्टीकल ए-1 एवं राउण्ड आर्टीकल ए-2, ए-3 एवं ए-4 वहीं है जो उसके द्वारा जप्त किये गये है।

06— रामदास (अ.सा.-6) ने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया कि प्रपी-7 के सान्हा पर थाना चंदेरी की सील अंकित नहीं है। साक्षी ने स्वतः कहा कि उसके हस्ताक्षर है। उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को भी प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि प्रपी-7 में शासकीय वाहन का क्रमांक अंकित नहीं

है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा-7 में बताया कि घटना स्थल पर कई सारे लोग कृषक एवं श्रमिक मौजूद थे। उक्त लोग कहां के थे वह नहीं बता सकता। प्रतिपरीक्षण के पैरा-8 में उक्त साक्षी ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार करते समय आसपास के स्थानों पर ग्रामीण और कृषक उपस्थित थे, किंतु ग्रामीण व कृषक पुलिस की कार्यवाही में हस्ताक्षर करने के लिये तैयार नहीं होते हैं, इसलिये उनके हस्ताक्षर नहीं कराये। प्रकरण में उक्त साक्षी की साक्ष्य से यह संदेह उत्पन्न होता है कि जब घटना के समय घटना स्थल पर स्वतंत्र साक्षी मौजूद थे तब उनके कथन उक्त साक्षी के द्वारा क्यों नहीं लिये गये।

07— इसके अलावा जप्ती एवं गिरफ्तारी का स्वतंत्र साक्षी शिशुपाल (अ.सा.-3) ने भी अभियोजन कहानी का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया है और उसने अभियुक्त को जानने व पहचानने से भी इंकार किया है। उक्त साक्षी ने केवल प्रपी-3 के जप्ती पंचनामों के ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है किंतु प्रपी-4 के ए से ए भाग के गिरफ्तारी पंचनामों पर हस्ताक्षर नहीं मिलने वाली बात व्यक्त की है और उक्त साक्षी ने पुलिस को कोई कथन न देना व्यक्त किया है। अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षी शिशुपाल (अ.सा.-3) से न्यायालय की अनुमति से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उसने अभियोजन कहानी का कोई समर्थन नहीं किया है। साक्षी को उसका पुलिस कथन प्रपी-5 का ए से ए भाग पढ़कर सुनाने पर भी उक्त साक्षी ने पुलिस को उक्त कथन न देना व्यक्त किया।

08— अभियोजन साक्षी रंजीत सिंह (अ.सा.-4) ने उसके कथनों में बताया कि वह आरोपी को जानता है। वह दिनांक 27.05.09 को थाना चंदेरी में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को वह रामदास दीवान और आरक्षक रुरस्त म खलको गस्त पर गये थे और रास्ते में गस्त के दौरान रामदास दीवानजी को सूचना मिली कि कोई भगत सिंह नाम का व्यक्ति बारह बोर की बंदूक लिये घूम रहा है। दीवानजी ने उक्त सूचना के बारे में उसे वह उसके साथ उपस्थित अन्य लोगों को अवगत कराया। तब हमलोग वाहन के पीछे की ओर एक डूब क्षेत्र जिसका नाम याद नहीं है वहां पर गये। वहां जाकर देखा कि एक व्यक्ति दो नाली बंदूक लिये घूम रहा था तथा उक्त व्यक्ति हमें देखकर वहां से भागने लगा जिसे पकड़कर नाम एवं पता पूछने पर उसने उसका नाम भगत सिंह बताया था। उक्त साक्षी ने बताया कि आरोपी को उसके समक्ष और एक अन्य साक्षी के समक्ष रामदास दीवानजी ने एक बारह बोर की बंदूक और तीन जिंदा कारतूस जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रपी-3 एवं आरोपी को गिरफ्तारी कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रपी-4 तैयार किया था जिसके बी से बी भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा-3 में बताया कि दोनाली बंदूक से उसका तात्पर्य जिसमें दो नाल होती है और एकनाली बंदूक में एक नाल होती है तथा वह एकनाली व दोनाली में अंतर समझता है। राजेन्द्र कुमार (अ.सा.-5) ने उसके कथनों में बताया कि अपराध क्र. 168/09 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुयी थी तथा विवेचना के दौरान साक्षी शिशुपाल और आरक्षक रंजीत सिंह के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे।

09— बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क के दौरान व्यक्त किया कि स्वतंत्र साक्षी शिशुपाल (अ.सा.-3) ने घटना का समर्थन नहीं किया है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत नाथू सिंह वि० स्टेट ऑफ़ एम.पी., एआईआर 1973 एससी 2783 के अनुसार पंच साक्षीगण की पुष्टि के अभाव में भी एक मात्र जप्तीकर्ता की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हो तो उसपर विश्वास किया जा सकता है। न्याय दृष्टांत करमजीत सिंह वि० स्टेट देहली एडमिनिस्ट्रेशन "2003" 5 एससीसी 297 के अनुसार पुलिस अधिकारी की साक्ष्य को भी अन्य साक्षीगण की साक्ष्य की तरह लेना चाहिए, विधि में ऐसा कोई नियम नहीं है कि अन्य साक्षीगण की पुष्टि के अभाव में पुलिस अधिकारी की साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। एक व्यक्ति ईमानदारी से कार्य करता है। यह उपधारणा पुलिस अधिकारी के पक्ष में भी लेना चाहिये, अच्छे आधारों के बिना पुलिस अधिकारी की साक्ष्य पर विश्वास न करना और संदेह करना उचित न्यायिक परिपाटी नहीं है।

10— प्रेमसिंह (अ.सा.-1) ने उसके कथनों में बताया कि वह दिनांक 18.08.09 को पुलिस लाईन अशोकनगर में प्रधान आरक्षक आर्म्स मोहरर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना चंदेरी के अ०क० 168/09 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट में जप्तशुदा बंदूक व राउण्डों की जांच की थी। बंदूक की लोहे की हाथ की बनी बारह बोर की थी, जिसमें केंच बैरल, टीगर के आगे लगा था एवं बट पर कवर लगा हुआ था। बंदूक का ट्रिगर, हेमर, पिन फायरिंग ठीक से कार्य कर रहे थे और बंदूक चालू हालत में थी। बंदूक के साथ 3 राउण्ड प्राप्त हुए थे जो जिन्दा हालत में थे। बंदूक व राउण्ड जांच हेतु आरक्षक महेश रघुवंशी लाया था जो बगैर सील थी और जांच उपरांत सीलबंद वापस किया गया था। उक्त साक्षी के द्वारा तैयार रिपोर्ट प्र.पी.1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में बताया कि उसने बंदूक को तकनीकी रूप से जांच किया था उसे चलाकर नहीं देखा था। वैसे भी बंदूक चलाकर देखना आवश्यक नहीं है। विशेषज्ञ व्यक्ति बंदूक को खाली हालत में एक्शन चेक करके यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि उक्त बंदूक से फायर किया जा सकता है अथवा नहीं।

11— मनोहर दुबे (अ.सा.-2) ने उसके कथनों में बताया कि वह दिनांक 01.09.2008 को जिला दण्डाधिकारी कार्यालय जिला अशोकनगर में आर्म्स क्लर्क के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को अ०क० 168/09 में आरोपी भगत सिंह परमार के संबंध में आरोपी से जप्तशुदा बारह बोर की बंदूक व तीन जिंदा कारतूस के संबंध में अभियोजन स्वीकृति चाही गई थी। उक्त साक्षी ने बताया कि उसके द्वारा तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी महोदय श्रीमति गीता मिश्रा के बताये अनुसार अभियोजन स्वीकृति का आदेश तैयार किया था जो प्रपी-2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके लघु हस्ताक्षर एवं बी से बी भाग पर तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी गीता मिश्रा के हस्ताक्षर हैं जिन्हें वह पहचानता है।

12— प्रकरण में महत्वपूर्ण यह है कि घटना दिनांक को आरोपी भगत सिंह से एक 12 बोर की बंदूक मय जिन्दा तीन राउण्ड जप्त किया गया था, जिसका की उसके

पास कोई लाइसेंस नहीं था। इस संबंध में रामदास (अ.सा.-6) ने उसके मुख्य परीक्षण में बताया कि आरोपी से एक बारह बोर की बंदूक एवं तीन जिंदा राउण्ड जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रपी-3 एवं आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रपी-4 साक्षी शिशुपाल व आरक्षक रंजीत सिंह के समक्ष तैयार किया था, किंतु प्रकरण के स्वतंत्र साक्षी शिशुपाल (अ.सा.-3) ने अभियोजन कहानी का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया और न्यायालय में उपस्थित आरोपी को जानने व पहचानने से भी इंकार किया। इसके अलावा जप्ती और गिरफ्तारी अन्य साक्षी जो कि ए.एस.आई. रंजीत सिंह (अ.सा.-4) है, उसने उसके कथनों में बताया कि आरोपी से रामदास दीवानजी ने उसके समक्ष एक बारह बोर बंदूक और तीन जिंदा कारतूस को जप्त किया था, किंतु उक्त साक्षी उसके मुख्य परीक्षण के पैरा-1 में बताता है कि एक व्यक्ति दो नाली बंदूक लिये घूम रहा था। उक्त साक्षी यह भी बताता है कि वह दोनाली व एकनाली बंदूक में समझता है।

13— इस प्रकार जप्ती के स्वतंत्र साक्षी शिशुपाल ने घटना का समर्थन नहीं किया और जप्ती एवं गिरफ्तारी के अन्य साक्षी रंजीत सिंह द्वारा उसके कथनों में आरोपी दोनाली बंदूक लिये घूम रहा था। उसके कथनों में बताया जबकि प्रकरण में जप्तसुदा बंदूक की जांच करने वाले प्रेमसिंह यादव (अ.सा.-1) ने जप्तसुदा बंदूक बारह बोर एकनाली होना बताया है। इसके अलावा एस.आई. रामदास (अ.सा.-6) द्वारा घटना स्थल के आसपास कृषक और ग्रामीण उपलब्ध होने के बावजूद भी उन्हें प्रकरण में साक्षी नहीं बनाया है और उक्त लोगों को साक्षी न बनाये जाने के संबंध में भी कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अलावा प्रकरण में संलग्न रोजनामचा सान्हा प्रपी-7 का अवलोकन करने से उसमें सान्हा क्रमांक 952 में रामदास, रंजीत सिंह, आरक्षक सुरेन्द्र सिंह, आरक्षक रूस्तम खलको को मय साक्षी वाहन के टोडा, बारी, लडेरी, जमूसर तरफ इलाका गस्त हेतु मय आर्म्स एम्पूनेशन लेकर रवाना किया जाना दर्ज है तथा साक्षी रंजीत सिंह ने भी उसके कथनों में रामदास दीवान सहित रूस्तम खलको के साथ गस्त पर जाना व्यक्त किया है, जबकि प्रकरण में रूस्तम खलको को न तो साक्षी के तौर पर पेश किया गया और न ही साक्ष्य सूची में उक्त व्यक्ति के नाम का कोई उल्लेख है। ऐसी स्थिति में तथा अभियोजन घटना को लेकर घटना के महत्वपूर्ण साक्षीगण के कथनों में महत्वपूर्ण तात्विक विरोधाभास है जिससे अभियोजन कहानी संदेहास्पद हो जाती है।

14— इस प्रकार उक्त सम्पूर्ण विवेचना में अभियोजन अपना मामला अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त भगत सिंह को धारा 25 (1-बी) (ए) आयुध अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

15— अभियुक्त द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

16— प्रकरण में जप्तशुदा एक बारह बोर की बंदूक एवं तीन जिंदा राउन्ड अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में जिला मजिस्ट्रेट अशोकनगर को निराकरण के लिये भेजी जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के आदेशानुसार माल का निराकरण किया जावे।

17— अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर
हस्ताक्षरित,दिनांकित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी, जिला अशोकनगर (म.प्र.)

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी, जिला अशोकनगर (म.प्र.)